श्याम लाल गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (तेजिंदर सिंह ढींडसा,नयायाधिपती)

तेजिंदर सिंह ढींडसा,नयायाधिपती, के सामने।

श्याम लाल गुलाटी-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य-प्रतिवादी

1993 का सीडब्ल्यूपी नंबर 5299

9 सितंबर 2013

ए. भारत का संविधान, 1950 - कला, 226 और 22 7 - पूर्वव्यापी पदोन्नति पर बकाया वेतन - याचिकाकर्ता को बोर्ड की गलती के कारण उचित समय पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया - ऐसी गलती को सुधारा गया और याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी पदोन्नति का लाभ दिया गया पदोन्नति - 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होगा - याचिकाकर्ता को बकाया देने से इनकार करने में बोर्ड की कार्रवाई - क्या वह कायम नहीं रह सकता - रिट याचिका स्वीकार की गई।

निर्णय लिया गया कि सत्यवीर सिंह शेखावत के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले के अनुपात को लागू करते हुए, यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता को लंबित होने के कारण 17.08.1989 से उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है। एक वास्तविक विवाद का. रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों से एकमात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-बोर्ड की गलती के कारण उचित समय पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। ऐसी गलती को सुधार लिया गया है और याचिकाकर्ता को 17.08.1989 से पूर्वव्यापी पदोन्नति का लाभ दिया गया है। "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 17.08.1989 से 22.07.1992 तक की अवधि के लिए बकाया देने से इनकार करने की प्रतिवादी-बोर्ड की कार्रवाई कायम नहीं रह सकती।

(पैरा 6)

श्याम लाल गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (तेजिंदर सिंह ढींडसा,नयायाधिपती)

बी. भारत का संविधान, 1950-कला. 226 एवं 22 7-हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, मंत्रिस्तरीय सेवा (मुख्य कार्यालय) विनियम, 1991 - संबंध में। 9 - उपाधीक्षक के साथ-साथ अधीक्षक के पद पर भी पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता है - याचिकाकर्ता ने उचित समय पर उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इनकार कर दिया - पदोन्नति से पहले जुर्माना लगाया गया - इसके बाद याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी पदोन्नति का लाभ दिया गया - पदोन्नति के बाद कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है - याचिकाकर्ता को अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित करने का कोई उचित आधार नहीं है - यदि ऐसे दंड याचिकाकर्ता के उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के रास्ते में नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इनकार करने का आधार बनाया जाए।

निर्णय लिया गया कि वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उपाधीक्षक के साथ-साथ अधीक्षक के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत वरिष्ठता सह योग्यता है। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिनांक 18.01.1993 के आक्षेपित आदेश में उल्लिखित तीन आरोप पत्रों के संबंध में लगाए गए दंड याचिकाकर्ता को उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने से पहले लगाए गए हैं। आगे कहा गया है कि उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नति के बाद कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और कोई प्रतिकूल सूचना नहीं दी गई है। बोर्ड की ओर से दायर लिखित बयान में इस तरह के कथनों का कोई खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इस कारण से वंचित करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता है कि 1991 के विनियमों के नियम 9 के अनुसार समान मानदंड यानी वरिष्ठता सह योग्यता को अपनाकर, याचिकाकर्ता को उपयुक्त पाया गया था। उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए एक तारीख से प्रभावी तीन अलग-अलग आरोप पत्रों के संबंध में जुर्माना पहले ही लगाया जा चुका है। यदि इस तरह के दंड याचिकाकर्ता के उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के रास्ते में नहीं आ सकते, तो इसे उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. मलिक और अधिवक्ता निखिल शर्मा उपस्थित थे

श्याम लाल गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (तेजिंदर सिंह ढींडसा,नयायाधिपती)

ओ. पी. शन्ना, प्रतिवादी संख्या 1 के वकील।

तेजिंदर सिंह ढिंडसा, न्यायाधीश।

(1) पक्षों के वकील सुने गए हैं।

(2) याचिकाकर्ता ने वर्ष 1993 में तत्कालीन 11 वर्षीय राज्य विद्युत बोर्ड के खिलाफ 18.01.1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) को चुनौती देते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की, जिसके तहत उसे अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में हटा दिया गया है। . आगे की चुनौती परिशिष्ट पी-1 पर दिनांक 22.07.1992 के कार्यालय आदेश में निर्धारित शर्त को लेकर है, जिसके तहत भले ही उन्हें एक अप्रैल से उपाधीक्षक के पद पर पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किया गया हो। 17.08.1989 लेकिन उन्हें प्रश्न की अवधि अर्थात 17.08.1989 से 22.07.1992 तक के वेतन के बकाया से वंचित कर दिया गया है।

(3) संक्षिप्त तथ्य जो विवाद में नहीं हैं, उनके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ता को दिनांक 01.10.2017 से उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की मान्य तिथि का लाभ प्रदान किया गया। 17.08.1989 आदेश दिनांक 22.07.1992 द्वारा (अनुलग्नक पी-1)। ऐसे आदेश के आलोक में, यह भी निर्धारित किया गया था कि यह माना जाएगा कि उसने अपनी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। हालाँकि, शर्त (vi) में कहा गया है कि उन्हें उप-अधीक्षक के रूप में उनकी पदोन्नति पर 14.07.2018 से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 17.08.1989 क्योंकि उन्होंने उस तारीख से उपाधीक्षक के रूप में काम नहीं किया है, लेकिन उनका वेतन सुरक्षित रहेगा। ऐसी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 140-ए पर उप अधीक्षक के कैडर में वरिष्ठता सौंपी गई थी। कई कर्मचारी, जिनके नाम रिट याचिका के पैरा 5 में दिए गए हैं और जिन्हें याचिकाकर्ता के नीचे क्रम संख्या 141 से वरिष्ठता सूची में दिखाया गया था, को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। संलग्नक पी-4 दिनांक 18.01.1993 के आक्षेपित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भले ही याचिकाकर्ता अधीक्षक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों से वरिष्ठ था, लेकिन तीन अलग-अलग आरोप पत्रों के संबंध में लगाए गए दंड के कारण उसे हटा दिया गया है।

श्याम लाल गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (तेजिंदर सिंह ढींडसा,नयायाधिपती)

(4) पहला मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी पदोन्नति का लाभ दिए जाने पर वेतन के बकाया से इनकार किया जा सकता है।

(5) 2012 के एलपीए नंबर 1018 में सत्यवीर सिंह शेखावत बनाम के रूप में हाल ही में डिवीजन बेंच के दिनांक 02.11.2012 के फैसले में इस तरह के मुद्दे की विस्तार से जांच की गई। हरियाणा राज्य और अन्य। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर गौर करने के बाद, पूर्वव्यापी पदोन्नति देने पर वेतन के बकाया के संबंध में सिद्धांत निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित किया गया था:

(6) उपरोक्त चर्चा से हमें पता चलता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, जबकि कुछ अन्य अवसरों पर, पदोन्नति पद की वास्तविक ग्रहण की तारीख से पहले की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि से इनकार कर दिया गया है। हालाँकि, प्रत्येक मामले में तथ्यों की गहन जांच से स्पष्ट रूप से एक समझदार प्रवृत्ति सामने आएगी और जहां तक विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून के सिद्धांत का सवाल है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

(17) जो सिद्धांत निकाला जा सकता है वह यह है कि यदि किसी कर्मचारी को प्रशासन की गलती के कारण और उक्त कर्मचारी की कोई गलती नहीं होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो अधिकारी वेतन आदि का बकाया भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। उस गलती का एहसास होने पर उसे पूर्वव्यापी पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इस सिद्धांत को उन मामलों में भी लागू किया जाएगा जहां घोर लापरवाही, असावधानी या दुर्भावना के कारण नियोक्ता कर्मचारी को उचित समय पर पदोन्नति का लाभ देने से इनकार कर देता है और बाद में पूर्वव्यापी रूप से देता है। (केरल राज्य और अन्य बनाम ई.के. भास्करन पिल्लई भी देखें - जेटी 2007 (6) एससी 83; मोहम्मद, अहफ़्टेटल बनाम निज़ाम शुगर फैक्ट्री और अन्य - (2004) 11 एससीसी 210: नलिनी कांत सिन्हा बनाम हिहार राज्य और अन्य - 1993 सप्लीमेंट (4) एससीसी 748। दूसरी ओर, जहां वास्तविक विवाद है और पदोन्नति थी ऐसे विवाद के लंबित रहने के कारण देरी हुई और विवाद के निपटारे से पहले पदोन्नति नहीं दी जा सकी, तो विवाद के समाधान के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने पर भी पिछली अवधि का वेतन देने से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा पिछली अवधि के बकाया वेतन के लाभ से भी इनकार किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि यह प्रशासन की गलती या गलती नहीं थी जिसके कारण पदोन्नति में देरी हुई। ”

(6) सत्य वीर सिंह शेखावत के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले के अनुपात को लागू करते हुए, यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता को 17.08.1989 से उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है। किसी वास्तविक विवाद का लंबित होना। रिकॉर्ड पर मौजूद दलीलों से एकमात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-बोर्ड की गलती के कारण उचित समय पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। ऐसी गलती को सुधार लिया गया है और याचिकाकर्ता को 17.08.1989 से पूर्वव्यापी पदोन्नति का लाभ दिया गया है, "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 17.08.1989 से 22.07.1992 तक की अवधि के लिए बकाया देने से इनकार करने की प्रतिवादी-बोर्ड की कार्रवाई कायम नहीं रह सकती।

(7) जहां तक अधीक्षक के पद पर याचिकाकर्ता के अधिक्रमण का संबंध है, क्षेत्र को धारण करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा। द! लारियाना राज्य विद्युत बोर्ड, मंत्रिस्तरीय सेवा (लीड ऑफिस) विनियम, 1991। नियम 9 के अनुसार परिशिष्ट 'सी' का प्रासंगिक उद्धरण यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

(9) **सेवा के लिए नियुक्ति:**

(1) सेवा में नियुक्ति, वह निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से और परिशिष्ट-,, सी में निर्दिष्ट अनुसार की जाएगी: -

(ए) सीधी भर्ती द्वारा: या

(बी) पदोन्नति द्वारा

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय परीक्षा या बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कोई परीक्षा या प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

(2) जब तक अन्यथा प्रदान न किया जाए, सभी पदोन्नतियाँ वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएंगी और अकेले वरिष्ठता, ऐसी पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं देगी।

परिशिष्ट *सी'

क्रमांक।	**पद का पदनाम**	**सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो**	**सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
4.	उप अधीक्षक		निम्नलिखित योग्यता/अनुभव वाले सहायकों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:- (ए) बोर्ड द्वारा निर्धारित मंत्रिस्तरीय स्थापना के लिए विभागीय 3.3x परीक्षा उत्तीर्ण करना। (बी) सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा।
5.	अधीक्षक		वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उपाधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा, बशर्ते कि:- (ए) उन्होंने मंत्रिस्तरीय 1-स्थापना के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है। (बी) उन्होंने उपाधीक्षक के रूप में 3 साल की सेवा पूरी कर ली है।

(8) वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उप अधीक्षक और अधीक्षक के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत वरिष्ठता सह योग्यता है। याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिनांक 18.01.1993 के आक्षेपित आदेश में उल्लिखित तीन आरोप पत्रों के संबंध में लगाए गए दंड याचिकाकर्ता को उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने से पहले लगाए गए हैं। आगे कहा गया है कि उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नति के बाद कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और कोई प्रतिकूल सूचना नहीं दी गई है। बोर्ड की ओर से दायर लिखित बयान में इस तरह के कथनों का कोई खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इस कारण से वंचित करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता है कि 1991 के विनियमों के नियम 9 के अनुसार समान मानदंड यानी वरिष्ठता सह योग्यता को अपनाकर, याचिकाकर्ता को उपयुक्त पाया गया था। एक तारीख से उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए तीन अलग-अलग आरोप पत्रों के संबंध में जुर्माना पहले ही लगाया जा चुका है। यदि ऐसे दंड याचिकाकर्ता के उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने के रास्ते में नहीं आ सकते, तो इसे अधीक्षक के पद पर पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

(9) रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय किसी विशेष अधिकारी की उपयुक्तता के सवाल पर नहीं जा सकता है, लेकिन न्यायालय निश्चित रूप से इस बात की जांच कर सकता है कि क्या किसी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति के लिए उचित विचार का निहित अधिकार दिया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, मेरा मानना है कि अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में याचिकाकर्ता को इस तरह के उचित विचार से वंचित कर दिया गया है।

(10) ऊपर दर्ज कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 22.07.1992 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश में आपत्तिजनक शर्त याचिकाकर्ता को उपाधीक्षक के पद पर 1.4.15 से बकाया देने से इनकार कर रही है। जिस तारीख को उन्हें पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को 17.08.1989 से 22.07.1992 की अवधि के लिए ऐसी बकाया राशि तुरंत जारी की जाए, याचिकाकर्ता के मामले पर उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से नए सिरे से अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में विचार करने और आवश्यक आदेश देने के

लिए आगे निर्देश जारी किए जाते हैं। इस संबंध में, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से दो महीने की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(11) सिविल रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में स्वीकार की गई।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा